न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.

बईजलास पीठासीन अधिकारी श्री हंसमुख कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 23/2019

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
मुली देवी पत्नी रूपारामजी जाति मीणा निवासी सरूपनगर रेबारी वास सिरोही तहसील व जिला सिरोही	बनाम	1. स्टेट जरिये तहसीलदार, सिरोही

उपस्थित–

1. प्रार्थी की ओर से श्री धनाराम देवासी अधिवक्ता
2. स्टेट जरिये तहसीलदार सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार

राजस्व प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत
वास्ते राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाने

–ःनिर्णयः– दिनांक 21.12.2020

प्रार्थीयां श्रीमती मुली देवी पत्नी रूपाराम जाति मीणा नि. सरूपनगर रेबारी वास, सिरोही ने राजस्व प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया है कि मौजा माण्डवा पटवार हल्का गोल तहसील व जिला सिरोही में खसरा संख्या 1074/197 रकबा 4.1320 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन कातरा की राजस्व आराजी हुई है। उक्त राजस्व आराजी में रूपा वल्द ओटा भील का पुराना कब्जा काश्त चला आ रहा था तथा रूपा वल्द ओटा भील द्वारा अपने पुराने कब्जे को राज्य सरकार की योजना अन्तर्गत आंवटन कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। उक्त खसरा संख्या 1074/197 के पुराने खसरा संख्या 106/1 मी. है जिस में से रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा भूमि का आंवटन रूपा वल्द ओटा भील को किया जाकर उसके नाम गैर खातेदार का म्यूटेशन दायर किया गया था। उस समय रूपा वल्द ओटा को आंवटित भूमि के खसरा संख्या 106/1 मी का उल्लेख न कर खसरा संख्या 302/14 का उल्लेख त्रुटिवश कर दिया गया। रूपा वल्द ओटा का लगातार कब्जा काश्त से नियमानुसार उसके नाम गैर खातेदार से खातेदार के रूप में म्युटेशन दर्ज किया गया। उसके पश्चात रूपा वल्द ओटा भील का स्वर्गवास हो जाने के बाद उसकी विवाहित पत्नी लालकी बेवा रूपा भील के नाम म्युटेशन दायर किया गया। लालकी बेवा रूपा भील के भी नाऔलाद फौत होने से उसके गोदी पुत्र समरथाराम गोदी पुत्र रूपा भील के नाम नियमानुसार नामान्तकरण दायर किया गया। समरथाराम को रूपयों की आवश्यकता होने से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के उक्त आराजी को प्रार्थीया को विक्रय कर मौके पर कब्जा सुपुर्द किया गया एवं उसका विक्रय विलेख नियमानुसार उप पंजीयन कार्यालय सिरोही में निष्पादित करवाया गया। [illegible] आवंटी की खसरा संख्या 197 में से रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा भूमि का आंवटन किया गया था लेकिन उस[illegible] राजस्व रेकर्ड का संधारण करते समय त्रुटिवष खसरा संख्या 197 की बजाय खसरा संख्या 3[illegible]14 दर्ज कर दिया गया तथा पुराने खसरा संख्या 302/14 का वर्तमान खसरा संख्या 503 रकबा 1.35 हैक्टेयर प्रार्थीया के [illegible] राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा वर्तमान खसरा संख्या 1074/197 रकबा [illegible] गैरमुमकिन कातरा के [illegible] राजस्व रेकर्ड में राज. सरकार के नाम से दर्ज रेकर्ड है उक्त त्रुटि तत्समय से राजस्व रेकर्ड में लगातार चली आ रही है। मौजा माण्डवा में कुछ समय पुर्व सेटलमेन्ट हुआ है लेकिन सेटलमेन्ट अधिकारियों व कर्मचारियों ने भी मौके अनुसार राजस्व रेकर्ड में चली आ रही त्रुटि का दुरूस्त नही किया जबकि उन्हें उक्त चली आ

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:58:31 IST
Reason: SelfAttested

रही त्रुटि को दुरूस्त करने का अधिकार था। वर्तमान में प्रार्थीया को अपने किसान क्रेडिट कार्ड हेतु तथा पड़ौसी खातेदार द्वारा प्रार्थीया के कब्जे शुदा कृषि भूमि में से रास्ता निकालने का प्रयास किया जिस पर प्रार्थीया ने पटवारी हल्का गोल से सम्पर्क किया तथा अपने कब्जे शुदा कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड की नकले दिनांक 31.08.2018 को प्राप्त की तथा पुराने नक्शा आदि की नकले 29.03.2019 को प्राप्त की उक्त सभी दस्तावेजात का अवलोकन किया एवं आंवटन आदेश व कब्जा सुपुदर्गी ईत्यादि की नकले प्राप्त करने हेतु आवेदन दिया लेकिन वे दस्तावेज उपलब्ध नही होना जाहिर करते हुये नकले नहीं दी गई। दस्तावेजों से यह पुर्णतया प्रमाणित है कि प्रार्थीया अपने पूर्व रसाधिकरियों के समय से खसरा संख्या 106/1 मी. वर्तमान खसरा संख्या 1074/197 में रकबा 1.35 हैक्टेयर पर काबिज काश्त है लेकिन राजस्व रेकर्ड में उनका नाम पुराने खसरा संख्या 302/14 व वर्तमान खसरा संख्या 503 रकबा 1.35 हैक्टेयर में बतौर खातेदार चला आ रहा है। उक्ट त्रुटि रेकर्ड का संधारण करते समय हुई है प्रार्थीया व उसके पुर्व रसाधिकारियों ने अपने कब्जे शुदा व खातेदारी की कृषि भूमि को काफी मेहनत कर रकम खर्च कर उपजाऊ बनाया है। प्रार्थीया अनुसूचित जनजाति की महिला काश्तकार है जो अनपढ़ है एवं इस कृषि भूमि पर ही काश्त कर अपना जीविकोपार्जन कर रही है लेकिन राजस्व रेकर्ड में उक्त त्रुटि से अब उसे बहुविवाद में उलझना पड़ रहा है प्रार्थीया के राजस्व रेकर्ड में दर्ज खसरा संख्या 503 की जगह खसरा संख्या 1074/197 रकबा 1.35 हैक्टेयर दर्ज करने हेतु निवेदन किया है। अतः अंत में प्रार्थिया द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थीया के राजस्व रिकार्ड में दर्ज खसरा संख्या 503 की जगह खसरा संख्या 1074/197 रकबा 1.35 हैक्टेयर दर्ज कराने के आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थना पत्र के संलग्न फार्म नं 3 फर्द सूची दस्तावेज में वर्णित अनुसार जमाबन्दी संवत् 2073 खसरा संख्या 1074/197 की, जमाबंदी संवत 2073 खसरा संख्या 503 की, नक्शा ट्रेस खसरा संख्या 1074/197 का, मोमीया ट्रेस की प्रति में स्थित कब्जे का डिमार्केशन की हुई प्रति, मिलान क्षेत्रफल, नक्शा किश्तवार, जमाबंदी संवत 2030–2033 म्युटेशन खातेदारी बाबत्, म्युटेशन लालकी के नाम दर्ज होने का, नामान्तकरण समरथा के नाम दर्ज होने का, आदि का अवलोकन कर राजस्व प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं से प्रथम दृष्टया आश्वस्त होने पर दिनांक 03.05.2019 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी स्टेट जरिये तहसीलदार सिरोही को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही ने जरिए पत्र क्रमांक 577 दिनांक 30.08.2019 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। जवाब में कथन किया है कि पटवार मण्डल गोल के ग्राम माण्डवा में खसरा नम्बर 1074/197 रकबा 4.1320 हैक्टेयर किस्म गैरमुमकिन कातरा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। मुल खसरा नम्बर 197 रकबा 4.18 है किस्म कातरा में से नवीन खसरा नम्बर 1073/197 किस्म गैरमुमकिन रास्ता आंवटन हुआ तथा शेष खसरा नम्बर 1074/197 रकबा 4.1320 हैक्टेयर किस्म गैरमुमकिन कातरा राजकीय बिलानाम भूमि है। पटवार मण्डल गो[illegible] के ग्राम माण्डवा में खसरा नम्बर 503 रकबा 1.35 हैक्टेयर किस्म बा.1 खातेदार मूलीदेवी पत्नी रूपाराम जाति मीणा साकिन सिरोही खातेदार दर्ज है। जवाब स्टेट जरिये तहसीलदार सिरोही दिनांक 18.9.2019 को शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 6.12.2019 को प्रकरण में प्रार्थी को आवंटन आदेश व तरमीम नक्शा की प्रति प्रस्तुत करने हेतु समय चाहने से समय दिया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा काफी अवसर प्रदान करने के बाद भी [illegible] नहीं की गई। अतः दिनांक 1.12. 2020 को विचाराधीन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 [illegible] पर वकील प्रार्थी एवं स्टेट पैरोकार द्वारा न्यायालय में हाजिर होकर अंतिम [illegible] गई।

पत्रावली पर उप[illegible] किया गया। उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रकरण के विवे[illegible] वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी अनुसार तहसील सिरोही के पटवार मण्डल गोल के मौजा माण्डवा के खसरा नंबर 503 रकबा 1.35 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीया मूलीदेवी पत्नी रूपाराम जाति मीणा साकिन सिरोही खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार प्रार्थीया खसरा नंबर 1074/97 पर अपना कब्जा काश्त होना जाहिर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:58:31 IST
Reason: SelfAttested

करती है एवं तदनुसार राजस्व रिकार्ड में रददोबदल चाहती है। जबकि उक्त खसरा नंबर 1074/97 रकबा 4.1320 हैक्टेयर जमाबंदी संवत 2073–76 ग्राम मांडवा में बिलानाम खाता संख्या 1 में दर्ज है। प्रार्थीया द्वारा उक्त खसरे पर कब्जे काश्त बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। न ही उनके द्वारा आवंटन आदेश एवं तरमीम नक्शा प्रस्तुत किया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि प्रार्थीयॉ अथवा उसके पूर्व रसाधिकारीयों को भूमि आवंटन 1074/97 के पुराने खसरा नंबर 106/1 में हुआ हो। पत्रावली के संलग्न जमाबंदी संवत 2030–33 के अवलोकन से भी यह पूर्णतया स्पष्ट है कि प्रार्थीया के पूर्व खातेदार एवं मूल आवंटी रूपा वल्द ओटा भील के नाम दर्ज भूमि में खसरा नंबर 302/14 ही अंकित है न की 106/1 दर्ज है। ऐसी स्थिति में अकारण राजस्व रिकार्ड में दर्ज खसरा नंबरान को दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थीया के पूर्व खातेदारान द्वारा भी यह कभी आपत्ति प्रस्तुत करना रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं है कि वे आवंटन से इतर खसरा नंबर पर काबिज है जिसकी दुरूस्ती की जानी है। प्रार्थीयॉ द्वारा उक्त भूमि वर्ष 2002 के बाद खरीदा जाना प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 में स्वयं प्रार्थीयॉ द्वारा स्वीकारा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का समुचित कारण प्रस्तुत नहीं है। अतः प्रार्थीयॉ का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भूराजस्व अधिनियम दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(हॅसमुख कुमार)
लेण्ड रिकार्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 21–12–2020को मेरे हस्ताक्षर, पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

लेण्ड रिकार्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Harsmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:58:31 IST
Reason: SelfAttested